भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2307

उत्तर देने की तारीख 03.08.2026

ज्ञान भारतम मिशन और पांडुलिपि विरासत का संरक्षण

2307. श्रीमती हिमाद्री सिंह :

श्री भर्तृहरि महताब :

श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया :

श्री तनुज पुनिया :

श्री मनीष जायसवाल :

श्री सतीश कुमार गौतम :

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह :

श्री गोपाल जी ठाकुर :

श्री आलोक शर्मा :

श्री जनार्दन मिश्रा :

श्री जगदम्बिका पाल :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आरंभ किए गए 'ज्ञान भारतम मिशन' का मुख्य उद्देश्य का ब्यौरा क्या है और इसके लिए सरकार द्वारा कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ख) उक्त मिशन के आरंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत चिन्हित, प्रलेखित और डिजिटल की गई पांडुलिपियों एवं दुर्लभ ग्रंथों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, विशेषकर बिहार के दरभंगा क्षेत्र में तथा मध्य प्रदेश में जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण में निजी अभिरक्षकों, धार्मिक संस्थानों, पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र स्थापित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ.) सरकार द्वारा उक्त मिशन के अंतर्गत डिजिटल की गई पांडुलिपियों तक विद्वानों की पहुंच, शोध और जनसाधारण तक पहुँच को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(च) क्या सरकार दरभंगा की समृद्ध मिथिला पांडुलिपि परंपरा, संस्कृत ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करने के लिए कोई विशेष पहल करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): ज्ञान भारतम मिशन (जीबीएम) जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 के दौरान की गई थी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य पांडुलिपियों से संबंधित कार्यकलापों को संचालित करना है। इस पहल के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

I. पाण्डुलिपियों के डिजिटलीकरण और प्रलेखन कार्य में महत्वपूर्ण रूप से तेजी लाने के लिए उन्नत तकनीक का लाभ उठाना।
II. पाण्डुलिपियों का सर्वेक्षण और पंजीकरण करना।
III. भारतीय पाण्डुलिपियाँ जहाँ कहीं भी हों, उनका प्रलेखन और सूचीकरण करना, उनके बारे में सटीक और अद्यतन जानकारी और उन परिस्थितियों का रखरखाव करना जिनके तहत उन्हें संरक्षित किया जा सकता है।
IV. पाण्डुलिपियों के उपयोग को सुगम बनाना और पुस्तक रूप के साथ-साथ मशीन पठनीय रूप, दोनों में प्रकाशनों के माध्यम से इन पाण्डुलिपियों तक त्वरित पहुँच को बढ़ावा देना।
V. प्रशिक्षण, जागरूकता और वित्तीय सहायता के माध्यम से पाण्डुलिपियों के संरक्षण और परिरक्षण को सुविधाजनक बनाना।
VI. भारतीय भाषाओं और पाण्डुलिपिविज्ञान के अध्ययन में छात्रवृत्ति और शोध को बढ़ावा देना।
VII. राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी (एनडीआर) का निर्माण करना।

इस पहल में सहायता करने हेतु स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) ने वर्ष 2025-2031 की अवधि के लिए 491.66 करोड़ रुपए संस्वीकृत किए हैं। विविध भाषाओं और लिपियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पांडुलिपियों, उनके रिपॉजिटरी और संरक्षकों की पहचान करने तथा प्रलेखन के लिए मार्च, 2026 में देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। इस सर्वेक्षण के दौरान 1.19 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों की जानकारी प्राप्त हुई है। वर्तमान में देश भर में 8 लाख से अधिक पांडुलिपियाँ डिजिटलीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें से 4.40 लाख से अधिक पांडुलिपियाँ आम जनता के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल पर व्यू मोड में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ): इस मिशन ने क्लस्टर केंद्रों और स्वतंत्र केंद्रों के माध्यम से एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया है, जिसमें पांडुलिपियों से संबंधित कार्यकलापों को संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, पुस्तकालय, अभिलेखागार, निजी संरक्षक, धार्मिक संस्थान और अन्य हितधारक शामिल हैं। संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भीतर ज्ञान भारतम के कार्यान्वयन के

लिए नोडल समन्वय प्राधिकरण के रूप में कार्य करने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

(ड.): पांडुलिपियों की डिजिटल प्रतियों तक पहुंच की सुविधा अभिरक्षकों और अधिकार धारकों के अधिकारों को ध्यान में रखकर दी गई है। जहाँ कहीं भी अनुमत हो, आम जनता और विद्वानों के शोध के लिए राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह के माध्यम से पांडुलिपियों और उनसे संबंधित मेटाडेटा को उपलब्ध कराया जा सकता है, जबकि संवेदनशील, प्रतिबंधित या अधिकार-संरक्षित सामग्रियों तक पहुंच उचित शर्तों के अध्यधीन हो सकती है।

(च): जीबीएम एक अखिल भारतीय पहल है जिसका उद्देश्य लिपि, भाषा, ज्ञान परंपरा, क्षेत्र या समुदायों की संरक्षक परंपराओं में भेद न करते हुए भारत की पांडुलिपि विरासत को परिरक्षित करना है। पांडुलिपियों से संबंधित कार्यकलापों को करने के लिए बिहार में स्थित संस्थानों (i) नव नालंदा महाविहार, नालंदा (ii) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना और (iii) श्री बोधगया मठ, बोधगया को जीबीएम में शामिल किया गया है।
